

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक: - / / 2016

क्रमांक: - भू.अ. / 2015 /

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री श.जे.रु. पिता लक्ष्मी नारायण नि.  
श.म.पु.री.चा प.ह. श.म.पु.रा. के राजस्व ग्राम श.म.पु.री.चा में जमाबन्दी संवत् 2078-2081  
की खाता संख्या 34,35,36,45 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति / नाम श.जे.रु. किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति / नाम श.जे.रु. का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुरूपित जा.  
श्रेणी के हो अन्तर्गत आती है / दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. कार्रकारी अधिनियम 1955 की धारा 12  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

Rohul  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक: - शे.डर / 2015 / 798

दिनांक: 16 / 10 / 2015

निमित्त,

पटवार हल्का श.म.पु.रा.

विषय: - सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री श.जे.रु. पिता लक्ष्मी नारायण  
राजस्व ग्राम श.म.पु.री.चा प.ह. श.म.पु.रा. की खाता संख्या 34,35,36,45 में  
जाति / नाम श.जे.रु. दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति / नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री श.जे.रु. पिता लक्ष्मी नारायण की  
जाति / नाम श.जे.रु. एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. श.म.पु.रा. राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
चित्तौडगढ

1 प्रतिहवि: - तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ